राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/RMS-I/6376 - 94 दिनांक 16/01/26

परिपत्र

विषयः राजस्व संग्रहण हेतु e-GRAS के स्थान पर IFMS 3.0 के अंतर्गत विकसित Revenue Management System (RMS) को लागू किए जाने के संबंध में।

वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से IFMS 3.0 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभागों/पी.डी. खाता संचालकों के लिए संवेतन, कार्मिकों के अन्य भुगतान, बजट, पेंशन, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना संचालन (SNA-SPARSH), Earned Salary Advance, Works Monitoring व Accounts, वेन्डर रजिस्ट्रेशन, Bank Disbursement Engine इत्यादि प्रक्रियाएं निरन्तर संचालित की जा रही हैं।

राज्य सरकार के लिए राजस्व संग्रहण हेतु IFMS के अन्तर्गत ई–ग्रास (e-GRAS) वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक F.5(TH-75)DTA/IFMS दिनांक 01.11.2012 द्वारा दिनांक 01.12.2012 से प्रारम्भ किया गया था। इसी के क्रम में IFMS 3.0 के अन्तर्गत राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण हेतु राजस्व प्रबन्धन प्रणाली (Revenue Management System) विकसित किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना है।

प्रथम चरण में निम्नांकित विभागों के लिए उनसे संबंधित राजस्व मदों में राजस्व संग्रहण हेतु RMS को दिनांक 21.01.2026 से लागू किया जा रहा है :–

1. फैक्ट्री एण्ड बायलर्स विभाग, जयपुर (RajFAB Application)
2. श्रम विभाग, जयपुर।
3. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।

उक्त विभागों के लिए जमाकर्ताओं को चालान जनरेशन एवं HO/HOD/TO/e-TO से संबंधित सेवाएँ/प्रावधान/रिपोर्टस जो इस परिपत्र के माध्यम से प्रारम्भ की जा रही हैं, वे ई–ग्रास के वर्तमान पोर्टल पर उपलब्ध नहीं रहेंगी। उक्त विभागों से संबंधित सम्पूर्ण डेटा भी ई–ग्रास से RMS पर हस्तांतरित किया जायेगा एवं दिनांक 21.01.2026 से पूर्व के जीआरएन से संबंधित सेवाएँ मय रिपोर्टस भी IFMS 3.0 के अन्तर्गत RMS पर ही उपलब्ध होगीं।

प्रारम्भ में RMS को निम्न प्रावधानों के साथ लागू (Go-live) किया जा रहा है :–

1. RMS के अन्तर्गत जमाकर्ताओं (Citizen service) को SSO आई.डी. के माध्यम से Citizen self service में ऑनलाइन एवं मैन्युअल चालान बनाये जाने की सुविधा दी गई है।
2. RMS में विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, ई–कोषाधिकारी एवं अन्य कोषाधिकारियों को SSO आई.डी. के माध्यम से Access work space के अन्तर्गत निम्नांकित सेवाएँ/विकल्प उपलब्ध रहेंगे :–

   (1) Regular Challan Creation
   (2) Challan View
   (3) Revenue Reports (Budget Head/Office wise)
   (4) TO Verification
   (5) Deface challan

ई–ग्रास पर उपलब्ध अन्य प्रावधान/सेवाएँ/रिपोर्टस भी RMS पर शीघ्र उपलब्ध करवायी जायेंगी।

RMS पोर्टल संबंधी प्रक्रिया :–

- प्रारम्भ में RMS पर regular challan creation किए जाने पर जीआरएन ई–ग्रास एप्लीकेशन से स्वतः Fetch होकर प्राप्त होगा, जिसमें जमाकर्ता द्वारा आवश्यक विवरण भरकर RMS पर चालान जनरेट किए जायेंगे।
- जीआरएन के विरूद्ध राशि जमा होने तथा बैंक से उस जीआरएन का स्टेट्स अपडेट होने के बाद संबंधित डेटा पुनः RMS से ई–ग्रास को प्रेषित किया जायेगा।
- Daily Scroll एवं DMS अपलोड किया जाना, अंकमिलान एवं लेखा प्रेषण संबंधी कार्यवाही एवं अन्य कार्य फिलहाल ई–ग्रास पर ही सम्पादित किए जायेंगे। यह सम्पूर्ण कार्यवाही ई–ग्रास एवं RMS इन्टीग्रेशन प्रणाली के अन्तर्गत स्वतः सम्पादित होगी।
- वर्तमान में ई–ग्रास पर अधिकृत सभी बैंकों द्वारा RMS के साथ इन्टीग्रेशन की कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- वर्तमान में ई–ग्रास से इन्टीग्रेटेड बैंको के साथ INB, Payment Gateway, Anywhere Banking एवं POS मशीन से संबंधित MoU, बैंकों के साथ Consultation/Duly consent के बाद RMS के साथ Deemed MoU होंगे। इन बैंको के लिए ई–ग्रास से संबंधित Specific सेवाऐं RMS पर उपलब्ध कराये जाने के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग से अधिकृत नवीन एजेन्सी बैंकों को अब सीधे ही RMS पर इन्टीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण कर MoU करना होगा।
- RMS को सभी विभागों (बजट मदों सहित) के साथ पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई–ग्रास पर राजस्व संग्रहण संबंधी सेवाएँ उपलब्ध नहीं रहेंगी।

विभिन्न Stakeholders के Role & Responsibilities निम्नानुसार रहेगी :–

1. **जमाकर्ता** – जमाकर्ताओं को एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से IFMS 3.0 के अन्तर्गत लॉगिन करना होगा। ई–ग्रास पर पूर्व में रजिस्टर्ड जमाकर्ताओं को RMS पर SSO लॉगिन से Entry करने के बाद ई–ग्रास डेटा में उपलब्ध पूर्व लॉगिन का विवरण प्रदर्शित होगा। नवीन जमाकर्ताओं को आवश्यक विवरण भरकर SSO आई.डी. जनरेट करनी होगी, तत्पश्चात चालान जनरेशन एवं राशि जमा कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

2. **विभाग** – जिन विभागों से संबंधित राजस्व मद RMS पर अन्तरित (Migrate) किए गए हैं उन विभागों/कार्यालयाध्यक्ष के लिए चालान जनरेशन, चालान डीफेस एवं चालान व्यू संबंधी अन्य प्रावधान/सेवाएँ RMS पर उपलब्ध रहेंगी। राजस्व प्राप्तियों संबंधी बजट मदवार एवं कार्यालयवार रिपोर्टस RMS पर उपलब्ध रहेंगी।

   जिन विभागों की विभागीय एप्लीकेशन्स का ई–ग्रास से इन्टीग्रेशन है वे सभी विभाग अपने विभागीय एप्लीकेशन्स का इन्टीग्रेशन RMS के साथ शीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करें। RMS के पूर्ण रूप से लागू किए जाने पर ई–ग्रास इन्टीग्रेशन से उन विभागों को उपलब्ध सुविधाएँ बन्द हो जायेंगी। शीघ्र ही अन्य विभागों की एप्लीकेशन्स एवं अधिकृत बैंको के साथ इन्टीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण कराकर सम्पूर्ण प्रावधानों के साथ सभी विभागों के लिए RMS को लागू किया जाएगा।

   विभागों से संबंधित अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्व वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012 एवं 20.01.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे। चरणबद्ध रूप से अन्य विभागों से संबंधित राजस्व मद भी RMS पर राजस्व संग्रहण हेतु Migrate किए जायेंगे।

3. **ई–कोषाधिकारी** – ई–कोषाधिकारी द्वारा RMS के माध्यम से जमा राजस्व के चालानों के डेटा सहित अंकमिलान एवं महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रेषण संबंधी कार्यवाही, यह सुविधा RMS पर उपलब्ध होने तक, पूर्वानुसार ही ई–ग्रास पर सम्पादित की जायेगी। RMS से ई–ग्रास पर प्राप्त डेटा का नियमित पर्यवेक्षण एवं विसंगति के संबंध में समाधान एन.आई.सी./डीटीए के माध्यम से करवाया जायेगा। अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्व वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012 एवं 20.01.2020 (पृष्ठ 17–30/सी) के अनुसार यथावत रहेंगे।

4. **बैंक** – RMS पर इन्टीग्रेटेड बैंक द्वारा जीआरएन से प्राप्त राशि को पूर्ववत् T+1 कार्य दिवस में आर.बी.आई. को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं स्क्रॉल एवं DMS पूर्वानुसार ई–ग्रास पर ही ई–कोषालय को प्रेषित किया जायेगा। अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्व वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012, 20.01.2020 एवं 29.10.2024 के अनुसार यथावत रहेंगे।

5. **एन.आई.सी.** – एन.आई.सी. द्वारा ई–ग्रास एवं RMS के मध्य नियमित एवं निर्बाध रूप से डेटा शेयरिंग को सुनिश्चित किया जायेगा तथा बैंकों एवं विभागों के एप्लीकेशन्स का RMS के साथ इन्टीग्रेशन के लिए आवश्यक डेटा/सूचनाएँ साझा की जायेगी। साथ ही RMS के डाटा सहित त्रुटिरहित रिपोर्ट्स एवं लेखा प्रेषण सहित सभी activities सम्पादित करने की निर्बाध सुविधा ई–कोषालय/संबंधित विभाग को उपलब्ध करवायेगें।

6. **कोष एवं लेखा विभाग** :– एन.आई.सी. के सहयोग से RMS का अधिकृत बैंकों एवं अन्य विभागों की एप्लीकेशन्स के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही की जायेगी। RMS के संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को आने वाली समस्याओं का समाधान भी तकनीकी टीम के सहयोग से कराया जायेगा।

RMS के लिए यूजर मैन्युअल IFMS 3.0 पर उपलब्ध रहेगा। हैल्प डेस्क हेतु 0141–2924794 एवं 0141–2924795, ई–मेल आई.डी. employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

15/01/26

(राजन विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/RMS/ 6376-94 दिनांक 16/01/26

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
10. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
11. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
12. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
16. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
17. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।
18. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर।
19. समस्त एजेन्सी बैंक, ई–ग्रास राजस्थान।

15/1/2026

संयुक्त शासन सचिव